

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह  
विशेष सचिव  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,  
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास (एस0सी0एस0पी0) योजनान्तर्गत" जनपद-महाराजगंज की 15 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2465/51/10/छ./विविध/महाराजगंज, दिनांक 29 अगस्त, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत" वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-महाराजगंज की न0पा0परि0 महाराजगंज की विभिन्न मिलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 15 परियोजनाओं हेतु कुल ₹0 321.47 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित, उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि ₹0 160.735 लाख (रुपये एक करोड़ साठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ यह सुनिश्चित कर लें कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय करने से पूर्व परियोजनाओं को जनपद स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः.....2

लाल गांधी/महाराजगंज/परियोजना

5. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनरा सम्बन्धित इडा (निर्माण इकाई) को अवमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उपरियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्य वर्तमान तथा भविष्य में किसी अन्य मद/ योजना/कार्यक्रम से न स्वीकृत किया गया है और न वर्तमान में किसी अन्य मद/योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जा प्रस्तावित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा कि स्थिति में स्वीकृत धनरा तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत योजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन यथा कार्यों के आकार में वृद्धि एवं विशिष्टियों में परिवर्त आदि नहीं किया जायेगा। प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन आदि एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रस्तावित कराया जाना अनिवार्य होगा।
7. उक्त धनराशि का प्रयोग उसी प्रायोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा किसी प्रकार का व्यायावर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपजिट खाते/पीएलए में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, ३०प्र० लखनऊ द्वारा विधायिका/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा। उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदाता/संस्था/सम्बन्धित इडा का होगा।
10. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा नियमित शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिन ०४.०४.२००८ के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अन्य प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।
12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/इडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बातचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य करा लिया जाये और इसके अनुपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

16. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्या-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अव्याप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
  2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचि-जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-भूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास-00-20-सहायता अनुदान-सामाजिक वित्तन" के नामे डाला जायेगा।
  3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिन 22.03.2016 तथा समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के तहत जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक - यथोक्त।

मवदीय,  
 (एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।

संख्या- 633 /2016/ 1968 (1) / 69-1-16 तदिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
  2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र०, इलाहाबाद।
  2. निटेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
  3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र० शासन।
  4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, महराजगंज।
  5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, 30प्र० शासन।
  6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र० शासन।
  7. समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, 30प्र० शासन।
  8. मुख्य काषायधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
  9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र० लखनऊ।
  10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
  11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच०पी० सिंह)  
 विशेष सचिव।

शासनादेशसंख्या- 633/2016/ए60/69-1-2016-01(एस0सी0पी0)/2016, दिनांक ०५ अक्टूबर  
2016 का सलगनक।

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	विकाय/ नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल आगणित धनराशि।	प्रथम किशत (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जरूरी धनराशि।
1	2	3	4	5	
1.	महाराजगंज	न०पा०प० महाराजगंज	वार्ड नं०-०८ के मो० राजीव नगर में पी०डब्ल्य० डी० रोड से डी० के० यादव के घर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	18.58	9.29
2.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री सदाम के मकान के सामने से हसमत तारा व श्री नन्हे के मकान होते हुए अशोक के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	39.29	19.645
3.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री बौन्द्रेश के मकान से अजय के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	15.08	7.54
4.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री कौशल किशोर के मकान से ग्रिलियण्ट कार्यिंग सेन्टर तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	12.76	6.38
5.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री लेखपाल के मकान से राम बचन वर्मा के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।	5.63	2.815
6.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री चन्द्रभान के मकान से जय हिन्द के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	29.14	14.57
7.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री कैलाश नाथ मिश्रा के मकान से श्री प्रदीप सिंह के मकान होते हुए काका मैरेज हाउस के बाटण्डीवाल तक नाली का निर्माण कार्य।	7.33	3.665
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री अनन्त सिंह के मकान से श्री महेश वर्मा के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	11.67	5.835
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-१४ के मो० लोहिया नगर में श्री गायत्री के मकान से आजाद स्कूल तक इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.89	2.945
10.	तदैव	तदैव	वार्ड नं०-११ के मो० आजाद नगर में श्री भागवत गौड के मकान से श्री राम सेवक व राधेश्याम पटेल के घर होते	9.04	4.52

			हुए परमानन्द के मकान तक नाली का निर्माण कार्य।		
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजाद नगर में श्री राजेन्द्र प्रजापति के मकान से श्री अवधेश के घर होते हुए श्री राज किशोर के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	42.60	21.30
12.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजाद नगर में श्री मुन्नी राम के मकान से श्री सुदामा मास्टर के घर होते हुए नहर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	32.96	16.48
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-11 के मो0 आजाद नगर में श्री जय प्रकाश पटेल के मकान से पटेल धर्मशाला व खण्डेलवाल के घर होते हुए जनार्दन विश्वकर्मा के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	47.21	23.605
14.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-19 के मो0 शास्त्री नगर में श्री इन्दल यादव के मकान से श्री जोखमन प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	13.17	6.585
15.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-23 के मो0 मउपाकड़ में श्री रामरेखा के मकान से श्री निवास के घर होते हुए कसेरा के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	31.12	15.56
	योग			321.47	160.735

(रूपये एक करोड़ साठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ मात्र)।

*lipsi*  
(एच०पी० सिंह)  
विशेष सचिव।